संख्या-41/2025/644/12-5099/562/2019

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 26 मई, 2025**

विषय:- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उप घटक ''पर ड्राप मोर क्राप'' अदर इन्टरवेंशन के अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा संचालित वर्षा जल संचयन हेतु खेत-तालाब योजना में लाभार्थी कृषकों का चयन/बुकिंग एवं भुगतान की कार्ययोजना के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं हेतु आनलाइन पंजीकरण, लाभार्थी चयन के द्वारा अनुदान के डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) तथा अन्य भुगतानों के विषय में शासनादेश संख्या-202/2017/543/12-5-2017-100(61)/12टीसी, दिनांक 26.05.2017 के द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उप घटक ''पर ड्राप मोर क्राप'' अदर इन्टरवेंशन के अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा संचालित वर्षा जल संचयन हेतु खेत-तालाब योजना में कृषकों का चयन एवं अनुदान भुगतान की डीबीटी व्यवस्था के संबध में शासनादेश संख्या-1593956/12-5099/1083/2019, दिनांक 23.03.2021 एवं शासनादेश संख्या-614/12-5099/1083/2019-सा०-100(10)/2015, दिनांक 27.04.2023 द्वारा संशोधित प्रक्रिया एवं निर्देश निर्गत किये गये है।

2- इस संबंध में आपके पत्रांक-भू०सं०/45/एस०एम०एस०-श०वा०/खेत तालाब/2025-26, दिनांक 09.05.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उप घटक ''पर ड्राप मोर क्राप'' अदर इन्टरवेंशन के अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा संचालित वर्षा जल संचयन हेतु खेत-तालाब योजना का क्रियान्वयन पी0डी0एम0सी0-2024 की निर्गत गाइडलाइन में निर्धारित कार्यमद (activity) के अनुरूप प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नानुसार नीतियों/निर्देशों/मदों में कार्य किया जायेगा :-

1. वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब का निर्माण जिसके नान लाइन तालाब पर 50 प्रतिशत अधिकतम (लाइन युक्त तालाब के अनुदान रू0 75000 से 30 प्रतिशत कम) रू० 52500 का अनुदान निर्धारित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. वाटर लिफ्टिंग डिवाइस अन्तर्गत पम्पसेट (विद्युत/डीजल) जिस पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 15000.00 प्रति इकाई अनुदान निर्धारित है।

3. चयन प्रक्रिया खेत तालाब:-

- खेत तालाब योजनान्तर्गत कुल भौतिक लक्ष्य के **40** प्रतिशत लक्ष्य हेतु वह कृषक पात्रता श्रेणी में आयेगें, जिन्होने आवेदन तिथि तक विगत **07** वर्षो में **उद्यान/कृषि विभाग** के माध्यम से अपने खेत पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना की हो तथा वह वर्तमान में चालू स्थिति में हों।
- खेत तालाब योजनान्तर्गत कुल भौतिक लक्ष्य के **60** प्रतिशत लक्ष्य हेतु वह कृषक पात्रता श्रेणी में आयेगें, जिन्होने पूर्व में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित नहीं की है। परन्तु अब खेत तालाब के निर्माण के साथ ही सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के इच्छुक है। ऐसे कृषकों को खेत तालाब का अनुदान तभी देय होगा जब वह सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने हेतु उद्यान विभाग का त्रिपक्षीय अनुबंध सत्यापन के समय उपलब्ध कराएगें।
- स्थानीय आवश्यकता एवं कृषको की मांग को दृष्टिगत रखते हुए कुल लक्ष्यों की सीमा के अन्तर्गत कृषि निदेशक द्वारा जनपदवार निर्धारित लक्ष्यों में तथा कृषक पात्रता श्रेणी के निर्धारित अनुपात में संशोधन किया जा सकेगा।
- पूर्व में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने वाले कृषक विज्ञापन में दिये गये विवरण के अनुसार कृषि विभाग के पोर्टल पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित किये जाने के साक्ष्य (उद्यान विभाग का पंजीकरण संख्या एवं शपथ पत्र) के साथ पंजीकरण करेगें। उद्यान विभाग द्वारा अब तक स्थापित कराये गये सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लाभार्थी की सूची कृषि विभाग पोर्टल पर उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर अदर इन्टरवेन्शन खेत तालाब एवं अन्य सुविधा(पम्पसेट) हेतु लाभार्थी का चयन किया जायेगा।
- मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार विकासखण्डवार/इकाईवार/जनपदवार लक्ष्य योजनाधिकारी द्वारा पोर्टल पर फीड किया जाएगा, जिन जनपदों में एक से अधिक इकाईयां स्थापित है वहां के उप कृषि निदेशक(भू0सं0) कार्य के अनुसार विकास खण्डवार कार्य इकाईयों को आवंटित करेगें।
- चयन प्रक्रिया हेतु मई के द्वितीय पक्ष में पोर्टल पर व्यवस्था कराते हुए पंजीकरण प्रारम्भ किया जायेगा, ताकि 30 मई तक लाभार्थी चयन का कार्य पूर्ण हो सके।

4. अनुदान भुगतान:-

- खेत तालाब निर्माण हेतु कृषकों को देय अनुदान का भुगतान दो किस्तों में किया जायेगा।
- प्रथम किस्त का भुगतान कृषक को निर्धारित न्यूनतम आकार के तालाब की खुदाई (मृदा कार्य) का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त किया जायेगा। देय अनुदान की 75 प्रतिशत धनराशि प्रथम किस्त के रूप में डी0बी0टी0 के माध्यम से पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए कृषकों के खाते में दी जायेगी।
- प्रथम किस्त के भुगतान के पूर्व MB(Measurement Book) की प्रति एवं मृदा कार्य पूर्ण (दरेशी सहित) होने की फोटो समान कोण से भूमि संरक्षण अधिकारी को अपलोड करना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

होगा। साथ ही खेत तालाब के मृदा कार्य पूर्ण होने का सत्यापन भूमि संरक्षण इकाई के अधिकारी/कार्मिकों के स्थान पर कृषि विभाग के (उप कृषि निदेशक तथा जिला कृषि अधिकारी के अधीन) अन्य कार्मिकों से कराया जाना अनिवार्य होगा। आवश्कता पड़ने पर सत्यापन विकास खण्ड के अन्य अधिकारियों से भी कराया जा सकता है तथा द्वितीय किस्त (शेष 25 प्रतिशत अनुदान) की धनराशि का भुगतान पक्का कार्य (इनलेट) पूर्ण करने एवं पूर्ण MB(Measurement Book) सत्यापन संबंधी अभिलेख सम्बन्धित भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड करने के उपरान्त किया जायेगा, जिसकी एम0आई0एस0 फीडिंग भी एक सप्ताह के अन्दर भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

- द्वितीय/अन्तिम किस्त की अवमुक्ति से पूर्व जियो टैगिंग/जियो रिफ्रेंसिंग अनिवार्य होगी तथा पोर्टल पर भी यह व्यवस्था होगी कि जियो टैगिंग/जियो रिफ्रेंसिंग एवं फोटो अपलोड होने के पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही पूर्ण हो सके। खेत तालाब का सत्यापन भी संयुक्त रुप से भूमि संरक्षण इकाई के अधिकारियों व भूमि संरक्षण से इतर अन्य अधिकारियों या (अन्य विकास खण्ड के अधिकारियों) द्वारा कराया जाना अनिवार्य होगा।

5. खेत तालाब हेतु पी0डी0एम0सी0 अदर इन्टरवेशन गाइडलाइन के अनुरूप नॉन लाइन तालाब निर्माण के लिये अनुदान हेतु 50 प्रतिशत धनराशि जिसकी अधिकतम सीमा रू0 52500.00 अनुमन्य है। लाभार्थी द्वारा निर्धारित मानक के खेत तालाब का निर्माण पक्के कार्य सहित जिसका आकार 22×20×3मी0 है, की खुदाई की जायेगी।

6. कृषक स्वयं की लागत से निर्धारित आकार 22×20×3मी0 से बड़े तालाब का निर्माण करा सकते है, परन्तु अनुदान की धनराशि अधिकतम रू0 52500.00 ही अनुमन्य होगी।

7. मनरेगा गाइडलाइन में दिये गये व्यक्तिगत लाभार्थी चयन संबंधी निर्देश में दी गयी 08 श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, खानाबदोश जनजाति, विमुक्त जनजावियां, गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अन्य परिवार, महिला मुखिया वाले परिवार, शारीरिक रूप से दिव्यांग मुखिया वाले परिवार, भूमि सुधारों के लाभार्थी) के अन्तर्गत चयनित कृषक यदि निर्धारित आकार 22×20×3मी0 से बड़े तालाब का निर्माण कराना चाहते है, तो अतिरिक्त मृदा कार्य का भुगतान, मनरेगा की दरो पर मनरेगा गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा।

8. व्यक्तिगत लाभार्थी को मनरेगा अन्तर्गत भुगतान हेतु अधिकतम धनराशि रू० 2,00,000.00 (रू० दो लाख मात्र) ही अनुमन्य होगी।

9. किसी एक इकाई के लिये निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पंजीकृत किसानों की सूची में पंजीकरण तिथि के अनुरूप प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्वान्त पर खेत तालाब की खुदाई का कार्य कराया जायेगा।

10. खेत तालाब निर्माण हेतु स्थल चयन एवं भुगतान की प्रक्रिया में भूमि सरंक्षण अधिकारी द्वारा शासन स्तर से पूर्व में निर्गत अन्य समस्त निर्देशों का पालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11. खेत तालाब निर्माण हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, विभागीय निर्देश एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला भूमि एंव जल संरक्षण समिति के स्तर से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

12. पम्पसेट अनुदान हेतु लाभार्थी चयन प्रक्रिया:-

- योजनान्तर्गत केवल वही लाभार्थी पात्र होगें, जिन्होने पंजीकरण तिथि तक उद्यान विभाग के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित कर लिया है एवं खेत तालाब योजनान्तर्गत तालाब निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया है।
- भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा पम्पसेट हेतु कृषि यंत्रीकरण योजनान्तर्गत निर्धारित मानक विशिष्टियां (ISI Mark & others) एवं सत्यापन व भुगतान प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

13. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:-

1. विभागीय पोर्टल पर खेत तालाब की बुकिंग आरम्भ करने के पूर्व व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा।
2. निर्धारित लक्ष्य का 1.5 गुना किसानो को खेत तालाब हेतु ऑनलाइन टोकन बुक करने की व्यवस्था पोर्टल पर दी जायेगी किन्तु कन्फर्म टोकन लक्ष्य की सीमा तक ही जनरेट होंगे।
3. पोर्टल से कन्फर्म टोकन की सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से किसानों के पंजीकृत मोबाइल पर भेजी जायेगी तथा पोर्टल पर भी टोकन मनी जमा करने की एवं अभिलेख अपलोड की अन्तिम तिथि प्रदर्शित होगी। किसी कारणवश यदि मोबाइल पर एस0एम0एस0 नहीं पहुँच पाता तो पोर्टल पर प्रदर्शित अन्तिम तिथि ही मान्य होगी। टोकन मनी जमा होने की पुष्टि पोर्टल द्वारा ऑनलाइन की जायेगी।
4. टोकन कन्फर्म होने के 10 दिन के अन्दर किसान द्वारा टोकन मनी की धनराशि आनलाइन जमा करनी होगी एवं अपने निर्धारित खेत जिसमें तालाब खुदवाना है, उसकी खतौनी, खेत का फोटो तथा निर्धारित घोषणा पत्र पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।
5. निर्धारित अन्तिम तिथि तक टोकन मनी जमा न करने एवं अभिलेख अपलोड न करने पर किसान की बुकिंग स्वतः निरस्त हो जायेगी और प्रतीक्षा सूची से अगले किसान का टोकन कन्फर्म करते हुये उसे टोकन मनी जमा करने एवं अभिलेख अपलोड का अवसर प्रदान किया जायेगा।
6. किसान द्वारा टोकन मनी जमा करने के उपरान्त भी निर्धारित अन्तिम तिथि तक अभिलेख अपलोड न करने स्थिति में टोकन मनी जब्त कर ली जायेगी।
7. खेत तालाब हेतु टोकन मनी की धनराशि रू0 1000 होगी।
8. किसान द्वारा उक्त अभिलेख अपलोड करने के 15 दिन के अन्दर भूमि संरक्षण अधिकारी को स्थलीय निरीक्षण कर तालाब बनाने हेतु उपयुक्त भूमि स्थल की पुष्टि/सत्यापन पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करना होगा, जो पोर्टल पर प्रदर्शित होगी तथा किसान को खेत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तालाब बनाने का एस0एम0एस0 भी पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जायेगा। यदि मैसेज नहीं पहुंचता तो भी पोर्टल पर प्रदर्शित स्थलीय सत्यापन की सूचना पर्याप्त होगी।

9. भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा आवेदित भूमि स्थल, खेत तालाब बनाने हेतु उपयुक्त पाये जाने की पुष्टि/सत्यापन पोर्टल पर करने के 30 दिन के अन्दर किसान को तालाब खुदवाना होगा।
    - तालाब खुदाई की फोटो भी कृषक द्वारा पोर्टल पर निर्धारित 30 दिन के अन्दर अपलोड की जायेगी। जिसकी पुष्टि भूमि सरंक्षण अधिकारी द्वारा की जायेगी।
    - उक्त अवधि में तालाब खुदाई करा कर कृषक द्वारा फोटो अपलोड न करने की स्थिति में टोकन/आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा।
    - उपरोक्त के अतिरिक्त मौसम की प्रतिकूलता एवं अन्य परिस्थिति जन्य कारणों से निर्धारित अवधि के अन्दर तालाब की खुदाई न होने पर भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर ही परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए पोर्टल पर अवधि विस्तार (अधिकतम 30 दिन) हेतु संस्तुति की जा जायेगी।
10. तालाब पूर्ण होने के पश्चात् यथाशीघ्र टोकन मनी की धनराशि कृषकों के खाते में वापस भेज दी जायेगी।
11. कृषकों का चयन ''प्रथम आवक-प्रथम पावक'' विधि से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होना है। कोई भी किस्त देने से पूर्व चयन सूची का जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन अनिवार्य रूप से लिया जायेगा। इसके सम्पन्न न होने पर उप कृषि निदेशक(भू0सं0)/भूमि संरक्षण अधिकारी को दण्डित किया जायेगा।
12. पोर्टल से सम्बन्धित अभिलेख यथा नक्शा, सर्वे प्रपत्र, एम.बी., फील्ड बुक तथा अन्य अभिलेख पूर्व दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ण कराये जायेंगे तथा तकनीकी अनुमोदन उप कृषि निदेशक (भू0सं0) से पूर्ववत लिया जायेगा।
13. उपरोक्तानुसार समस्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए इकाईवार निर्धारित लक्ष्यों की समयान्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सुनिश्चित करने हेतु भूमि संरक्षण अधिकारी उत्तरदायी होगें।

कृपया उपरोक्त नीतियों/निर्देशों एवं नवीन प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
7- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
8- सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त् शासनादेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करते हुए इसे कृषि विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया जाए तथा 02 दिन के पश्चात इस संबंध में विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियों कान्फ्रेनसिंग कर आवश्यक निर्देश दिये जाए।
9- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10-समस्त अपर कृषि निदेशक, कृषि भवन, लख्नऊ।
11-समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
12-समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
13-समस्त उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, उत्तर प्रदेश।
14-समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15-समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।